

संख्या ~~2182~~ जी०एस०(शिक्षा) / A3-52(2) / 2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाँँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या : 491 दिनांक 19.03.2024 एवं आख्या पत्रांक संख्या : 251 'ए' दिनांक 18.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्द्वौड़, नैनीताल को बी०-एससी० (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रेषित अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
01	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्द्वौड़, नैनीताल।	बी०-एससी० (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान)	60 सीट प्रति ग्रुप	2021-22 एवं 2022-23

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया

I/2182/2024

I/2182/2024

जायेगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 27-08-2024 15:57:03

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2182/जी0एस0(शिक्षा)/A3-52(2)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,



(स्वाति एस0 भटौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।